राज्य के विद्यालयों/महाविद्यालयों/कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत महिला छात्राओं की सुरक्षित, सम्मान एवं सुरक्षित प्रबंधन हेतु मानक संचालन कार्यप्रणाली (SoP)

1.प्रस्तावना

राज्य के विद्यालयों/महाविद्यालयों/कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत महिला छात्राओं की सुरक्षित, सम्मान, गरिमा एंव निर्भिक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में शैक्षणिक संस्थानों में महिला छात्राओं की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक समन्वित, प्रभावी एवं उत्तरदायित्व प्रणाली आवश्यक है।

इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा यह मानक संचालन कार्यप्रणाली (SoP) निर्गत की जाती है।

2. उद्देश्य

i. महिला छात्राओं को सुरक्षित, सम्मानजनक, भयमुक्त एवं समान अवसरयुक्त वातावरण प्रदान करना।
ii. यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, साइबर अपराध एवं भेदभाव एवं हिंसा की रोकथाम तथा त्वरित निवारण सुनिश्चित करना।
iii. शिकायतों का त्वरित निष्पक्ष एवं गोपनीय निवारण।
iv. संस्थागत जवाबदेही एवं सतत् निगरानी व्यवस्था स्थापित करना।

3. क्षेत्राधिकार/लागू क्षेत्र

समस्त राजकीय, अनुदानित एवं सरकारी तथा निजी

i. विद्यालय
ii. महाविद्यालय
iv. विश्वविद्यालय
v. कोचिंग संस्थान
vi. छात्रावास, अध्यापन कार्य में सलग्न परिवहन व्यवस्था एवं शैक्षणिक संस्थान की सभी परिसारों से संबंद्ध सभी गतिविधियाँ।

Scanned with OKEN Scanner

6. अवसंरचना एवं भौतिक सुरक्षा

i. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था (परिसर, शौचालय, पार्किंग)
ii. सी0सी0टी0वी0 कैमरे (प्रवेश/निकास, गलियारे, सामान्य परिसर क्षेत्र)
iii. सुरक्षित एवं स्वच्छ महिला शौचालय
iv. छात्रावास में:–
   (i) महिला वार्डन
   (ii) आगतुक पंजी
   (iii) समयबद्ध प्रवेश–निकास
v. परिवहन में:–
   (i) सत्यापित चालक
   (ii) महिला छात्राओं हेतु सुरक्षित रूट
   (iii) आपातकालीन नंबर उपलब्ध

7. आचार संहिता (Code fo Conduct)

7.1 छात्र/कर्मचारी हेतु

i. सभी शैक्षणिक परिसर, शैक्षणिक गतिविधियों हेतु उपयोग किये जा रहे वाहन, कार्यक्रम इत्यादि में अशोभनीय भाषा, व्यवहार, संकेत पूर्णतः निषिद्ध
ii. महिला छात्राओं हेतु सोशल मीडिया पर उत्पीड़न प्रतिबंधित
iii. महिला छात्राओं हेतु शून्य सहनशीलता नीति लागू

7.2 संस्थान की जिम्मेवारी

i. उल्लंघन पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई

8. ग्रिवांस रिड्रेसल तंत्र

i. सभी ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायत व्यवस्था, गोपनीयता सुनिश्चित ।

9. प्रशिक्षण एवं जागरूकता

i. वर्ष में न्यूनतम 02 बार:–
   (i) लैंगिक संवेनशीलता प्रशिक्षण
   (ii) कानूनी अधिकारों की जानकारी
ii. नवप्रवेशी छात्राओं हेतु ओरिएंटेशन
iii. साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम

Scanned with OKEN Scanner

10. शिकायत निवारण प्रक्रिया

चरण i: <u>शिकायत प्राप्तिः–</u>

(i) लिखित/ई–मेल/ऑनलाईन/शिकायत पेटी

(ii) गोपनीयता सुनिश्चित

चरण ii: <u>प्रारंभिक जाँचः–</u>

(i) 7 कार्य दिवसों में प्रारंभ

(ii) पीड़िता को अंतरिम संरक्षण

चरण iii: <u>विस्तृत जाँचः–</u>

(i) साक्ष्य संग्रह

(ii) दोनों पक्षों की सुनवाई

चरण iv: <u>निर्णयः–</u>

(i) 60 दिवस के भीतर

(ii) अनशासनात्मक/कानूनी कार्रवाई

चरण v: <u>अपीलः–</u>

(i) उच्च प्राधिकारी के समक्ष 30 कार्यदिवस

11. आपातकालीन व्यवस्था

i. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना (ERP)

ii. स्थानीय पुलिस/महिला हेल्पडेस्क से समन्वय

iii. 112/1090/181 आदि प्रबंधन प्रदर्शित

12. निगरानी, समीक्षा एवं रिर्पोट

i. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा बैटक

ii. वार्षिक सुरक्षा ऑडिट

iii. जिला/राज्य स्तर पर रिर्पोट प्रेषण

Scanned with OKEN Scanner

13. दायित्व एवं उत्तरदायित्व

i. संस्था प्रमुख SoP का प्रभावशाली विशेषज्ञ

ii. नोडल अधिकारी/ICC शिकायतों का निस्तारण।

iii. संस्थान/समस्त स्टाफ अनुपालन एवं सहयोगः–

अधिकारी	दायित्व
संस्था प्रमुख	SoP का क्रियान्वयन
नोडल अधिकारी	समन्वय एवं निगरानी
ICC	शिकायत निस्तारण
शिक्षक/कर्मचारी	अनुपालन
छात्र	सहयोग

14. दंडात्मक प्रावधान

i. संस्थायम उल्लंघन परः–

(i) चेतावनी
(ii) निलंबन
(iii) निष्कासन
(iv) कानूनी कार्यवाही

15. प्रभावशीलता

यह SoP निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभावी होगी एवं सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालित की जायेगी।

6.1.2026

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

4. कानूनी आधार

यह मानक संचालन कार्यप्रणाली (SoP) निम्न अधिनियमों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगी:–

i. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013
ii. किशोर न्याय अधिनियम (जहाँ लागू)
iii. सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम, 2000
iv. यू0जी0सी0/सी0बी0एस0ई0/राज्य शिक्षा बोर्ड के दिशा–निर्देश

5. संस्थागत व्यवस्था

5.1 आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee-ICC)

प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में अनिवार्य रूप से गठित होगी:–

i. अध्यक्ष: वरिष्ठ महिला अधिकारी/शिक्षक
ii. कम–से–कम 02 महिला सदस्य
iii. 01 (एक) बाह्य सदस्य (एन0जी0ओ0/कानूनी विशेषज्ञ)
iv. कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष

कर्त्तव्य:–

i. शिकायतों की जाँच
ii. समयबद्ध निर्णय
iii. पीडिता की गोपनीयता एवं संरक्षण

5.2 महिला सुरक्षा नोडल अधिकारी

i. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में नामांकित
ii. 24x7 सम्पर्क योग्य विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित
iii. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के विवरण नोटिस बोर्ड/विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित

5.3 छात्रा परामर्श एवं सहायता प्रकोष्ठ

i. महिला काउंसलर की व्यवस्था
ii. मानसिक स्वास्थ्य सहयोग
iii. तनाव, भय एवं अवसाद निवारण

Scanned with OKEN Scanner